भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2664
बुधवार, 11 अगस्त, 2021/20 श्रावण, 1943 (शक)

बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता

2664. डा. प्रकाश बांडाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के औद्योगिक क्षेत्र में कोविड महामारी के दौरान उद्योगों के वित्तीय संकट की वजह से नौकरी छूट जाने की समस्या का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आवंटित धनराशि और पात्र लाभार्थियों की संख्या सहित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत सरकारी सहायता मांगने और प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) दिसम्बर, 2019 से आज की तारीख तक देश में मासिक बेरोजगारी दर का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से एकत्र किए जा रहे हैं। वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट जुलाई से जून तक की सर्वेक्षण अवधि को सम्मिलित करती है। नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट वर्ष 2019-20 के लिए है।

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर क्रमशः 5.8% एवं 4.8% है तथा पिछले दो वर्षों के लिए उपलब्ध सीमा तक देश में व्यापक उद्योग विभाजन द्वारा सामान्य स्थिति में कामगार का प्रतिशत वितरण निम्नानुसार हैः

एनआईसी 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग विभाजन	2018-19	2019-20
कृषि	42.5	45.6
खनन और उत्खनन	0.4	0.3
विनिर्माण	12.1	11.2
विद्युत, जल आदि	0.6	0.6
निर्माण	12.1	11.6
व्यापार, होटल और रेस्तरां	12.6	13.2
परिवहन, भंडारण और संचार	5.9	5.6
अन्य सेवाएं	13.8	11.9
समस्त	100.0	100.0

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत, नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 26.07.2021 को, योजना के तहत 91,129 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 25.57 लाख कर्मचारियों को 1193.18 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता मिली है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएळ खातों में 2567.66 करोड़ रुपए जमा किए गए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है,जो कि 90 दिनों तक देय है। इसके साथ-साथ उन बीमित कामगारों, जिन्होंने कोविड-19 के कारण रोजगार गंवा दिया है, के लिए लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तों में छूट है।

पीएम-स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

सरकार ने एमजीएनआरईजीए मजदूरी को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

******